न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 384 / 2024 निर्णय दिनांक :– 21.05.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कान्ता पुत्री ग्यारसा जाति लौधा उम्र बालिग उम्र बालिग निवासी डावरखुर्द ' तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. काना पुत्र छोटू जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. किशनलाल पुत्र गौरू जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. किशनी पुत्री कल्याण जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
5. गुलाब पुत्री कल्याण जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
6. चोथमल पुत्र छोटू जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
7. जगदीश पुत्र छगना जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
8. जनता पुत्री ग्यारसा जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
9. झमकू पुत्र छगना जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
10. दुर्गालाल पुत्र चन्दा जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
11. नन्दू पुत्री कल्याण जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
12. नन्दा पुत्र जगन्नाथ जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
13. नर्बदा पुत्री गोरू जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
14. प्रेम पुत्री कल्याण जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
15. फूंदी पत्नी छोटू जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.

16. भूरा पुत्र छगना जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
17. मथुरा पुत्री कल्याण जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
18. मनभरी पुत्री कल्याण जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
19. रामनारायण पुत्र छोटू जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
20. रामा पुत्र कल्याण जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
21. शंकर उर्फ घासी पुत्र छोटू जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
22. श्योजी पुत्र छोटू जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
23. शांति पुत्री गोरू जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
24. सजना पुत्र चन्दा जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
25. समोदरा पुत्री गोरू जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
26. सीता पत्नी चन्दा जाति लौधा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
27. कैलाशी पुत्र घीसा दरोगा जाति दरोगा उम्र बालिग उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
28. कान्ता देवी पत्नी रमेश दरोगा जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
29. कोमल पुत्री रमेश दरोगा जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
30. नारायणी पत्नी घीस्या दरोगा जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
31. राजेन्द्र पुत्र घीस्या दरोगा जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
32. रामसिंह पुत्र रमेश दरोगा जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.

33. लक्ष्मण पुत्र रमेश दरोगा जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
34. शंकर पुत्र धीस्या दरोगा जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
35. सन्जू पुत्री रमेश दरोगा जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
36. कमला पत्नी स्व. खाना रेगर जाति रेगर निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
37. पिंकी पुत्री खाना रेगर जाति रेगर निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
38. फूलबन्ता पुत्री खाना रेगर जाति रेगर निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
39. मदन पुत्र खाना रेगर जाति रेगर निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. खानकंवर पुत्री केसरसिंह पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी नावटीला (नया टीला) तहतील पीपलू जिला टोंक राज.
2. गोपालकंवर पुत्री केसरसिंह पत्नी सज्जनसिंह राजपूत उम्र बालिग निवासी नावटीला (नया टीला) तहतील पीपलू जिला टोंक राज.
3. रघुनाथ सिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. शोराजसिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
5. गिरधर सिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
6. चान्दकंवर पत्नी भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
8. रामसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
9. विष्णुकंवर पुत्री भंवर सिंह पत्नी सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी कड़ीला तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.
10. तहसीलदार जी देवली

11. कुलदीप सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग उम्र बालिग निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज0

12. विजेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग उम्र बालिग निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राज0

—अप्रार्थीगण—

उपस्थिति
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली
राकेश मीणा
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11 व 12

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 टिनेन्सी एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

पत्रावली माननीय न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक की अपील संख्या द्वारा 151/2022 खान कंवर वगै. बनाम कान्ता वगै. निर्णय दिनांक 17.11.23 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली का निर्णय दिनांक 17.10.2022 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पूर्व में रास्ता है या नहीं, पक्षकारान को पूर्व में सूचित कर तहसीलदार स्वयं से मौका रिपोर्ट लेकर या स्वयं मौका देखकर विधि अनुसार निर्णय पारित करे।

पत्रावली माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर, पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2023 को पारित निर्णय में पक्षकारान को दिनांक 12.12.23 को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता उपस्थित हुए। चूकि पत्रांवली माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान को निर्देशित दिनांक 12.12.23 तक न्यायालय में प्राप्त न होकर दिनांक 15.12.23 को प्राप्त हुई । अप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

तहसीलदार देवली को माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार पुनः मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पेश किया गया, जिसे बाद बहस स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 11 व 12 की ओर से अधिवक्ता राकेश मीणा द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया।

पत्रावली में अधिवक्ता उभयपक्ष से बहस सुनी।

पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण 1 ता 26 की सयुंक्त खातेदारी की आराजियात हाल ख. नं. 10 रकबा 0.17 है0, ख0न0 11 रकवा 0.16 है, ख0न0 115 रकवा 0.21 है0, ख. नं. 116 रकवा 0.20 है0, ख0 न0 117 रकवा 0.18 है0, ख0 न0 118 रकवा 0.19 है0, ख0 न0 119 रकबा 0.18 है0, ख0 न0 12 रकबा 0.16 है0, ख0 न0 13 रकवा 0.34 है0, ख0 न0 9 रकबा 0.35 है0, किता 10 कुल रकबा 2.14 है0 वाके ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली व प्रार्थीगण 27 से लेकर 35 की सयुंक्त खातेदारी व कब्जे की आराजी हाल खा0न0 208 रकबा 0.35 हे0, ख0 न0 277 रकबा 0.23 है0, ख0न0 31 रकबा 1.58 है0 किता 3 कुल रकबा 2.16 है0, वाके ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली और प्रार्थीगण 36 से लेकर 39 की सयुंक्त खातेदारी की आराजियात हाल ख0न0 16 रकबा 1.43 है0 ख0 न0 19 रकबा 1.09 है0 किता 2 कुल रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली स्थित है। उक्त आराजीयात बाबत प्रार्थीगण द्वारा ग्राम डाबरकला के ख. नं. 1 रकबा 0.14 है0, जो जमाबंदी सम्वत 2071–74 में, अप्रार्थीगण की खातेदारी में रहा है, से 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहने बाबत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत न्यायालय हाजा में पेश किया गया।

उक्त प्रा. पत्र बाबत बाद उभयपक्ष की सुनवाई न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 17.10.2022 से स्वीकार किया गया ।

न्यायालय हाजा के निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 द्वारा अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक में की गई।

माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 17.11.2023 में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.10.2022 को निरस्त कर, न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पूर्व में रास्ता है या नही, पक्षकारान को सूचित कर तहसीलदार स्वयं से मौका रिपोर्ट लेकर या स्वयं मौका देखकर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करे।

तहसीलदार देवली द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.24 पेश की गई जो इस प्रकार है:– जिसमें ग्राम डाबरखुर्द के खसरा न0 9, 10, 11, 12 में जाने हेतु ग्राम डाबरकलॉ के खसरा नं. 847 किस्म गै0मु0 रास्ता व ग्राम मालेडा के खसरा नं0 353 किस्म गै0मु0 रास्ता जो मोके पर डामर सड़क को जोडते हुये पूर्व में प्रस्तावित ग्राम डाबरकला में खसरा नं0 1 में से नवीन खसरा न0 2738/1 रकबा 0.0220 है0 किस्म गै. मु. रास्ते से होकर ग्राम मालेड़ा के ख. नं. 354 रकबा 0.03 है0 किस्म बारानी प्रथम में से 0.0150 है0 से कुलदीप सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह राजपूत के नाम दर्ज से होकर रहेगा। मोके पर खसरा न0 2738/1 के आंशिक भाग पर नवीन तारबन्दी कर अतिक्रमण कर रखा है। पूर्व में

प्रस्तावित रास्ता जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज खसरा न0 2738/1 रकबा 0.0220 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नियमानुसार प्रस्तावित नही किया जा सकता है। ग्राम मालेडा के खसरा न0 353 किस्म गै0मु0 रास्ता (सडक) को ग्राम डाबरकला के खसरा न0 847 किस्म गै0मु0 रास्ता का जोडने के लिये खसरा न0 2738/1 रकबा 0.0220 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता व ग्राम मालेडा के खसरा न0 354 रकबा 0.03 है0 में से 0.0150 है0 के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रस्तावित किया जाना उचित नही होगा। अतः मोका रिपोर्ट तेयार कर उपस्थित मोतवीरान के हस्ताक्षर लिये गये प्रार्थी व अप्रार्थीगण मोके पर उपस्थित हुये परन्तु अप्रार्थीगण हस्ताक्षर करने से मना किया।

अप्रार्थीगण संख्या 10 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश मीणा ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः—आवेदन का चरण नं. 1 ता 6 को स्वीकार है। आवेदन का चरण नं. 7 कानूनी है। विशेष आपतियांः—वास्तविकता यह है कि आवेदन के चरण नं. 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण ख. नं. 847 में से होते हुए ख. नं. 2738/1 में होकर ख. नं. 354 में आते हुए गै. मु. रास्ते पर जाते है। अप्रार्थीगण ख. नं. 354 के खातेदार है। उक्त ख. नं. में से प्रतिवादीगण को रास्ता दे दिया जावे तो कोई एतराज नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार ने भी इस बाबत अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक व कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार पूर्व में प्रस्तावति ग्राम डाबरकला में ख. नं. 1 में से नवीन ख. नं. 2738/1 रकबा 0.0220 है0 जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गे. मु. रास्ता है जो पूर्व में ख. नं. 1 से बना है, जो अप्रार्थीगण नं. 1 ता 9 की खातेदारी में रहा है। ख. नं. 354 जो तहसीलदार की रिपोर्ट में रास्ते में आना बताया है, इस बाबत अप्रार्थीगण 11 व 12 को रास्ता देने में कोई आपति नहीं है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट 18.03.24 अनुसार रास्ता दिया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने ख. नं. 354 ग्राम मालेड़ा से रास्ता दिया जाने बाबत कोई आपति नहीं होना बताया।

तहसीलदार देवली द्वारा भी दोराने बहस पत्रावली में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 18.03.24 अनुसार रास्ता दिये जाने का कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.24 में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.10.2023 में पूर्व में रास्ता है या नहीं को स्पष्ट करने के लिए माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार रिपोर्ट पेश की । जिसके अनुसार पूर्व में ख. नं. 1 से रास्ता प्रस्तावित किया गया था परन्तु वर्तमान में ख. नं. 1 से नवीन ख. नं. 2738/1 बन गये है। मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.24 में ख. नं. 353 किस्म गै. मु. रास्ता जो मौके पर सड़क है, को ग्राम डाबरकला के ख. नं. 847, जो राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता है, को जोड़ने के लिए तहसीलदार देवली द्वारा ख. नं. 2738/1 रकबा 0.0220 है0 किस्म गै. मु. रास्ता व

ग्राम मालेड़ा के ख. नं. 354 रकबा 0.03 जो कुलदीप सिंह वगै. की निजि खातेदारी में है, के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बताया है।

अतः माननीय न्यायालय के निर्देश की अनुपालना में तहसहीलदार देवली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के आराजीयात तक पहुंच के लिए ग्राम डाबरकला के ख. नं. 353 किस्म गै. मु. रास्ता व ख. नं. 847 किस्म गै. मु. रास्ता मौके पर अस्तित्व में है तथा अप्रार्थीगण का ख. नं. 1 ग्राम डाबरकला में से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.10.22 से नया ख. नं. 2738/1 रकबा 0.0220 है0 जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक गै. मु. रास्ते के रूप में रिकॉर्ड में है, के आंशिक भाग पर नवीन तारबन्दी कर अतिक्रमण कर रखा है। अर्थात उक्त ख. नं. का शेष भाग रास्ते के रूप में खुला हुआ है।

ग्राम मालेडा के ख. नं. 354 के खातेदारान द्वारा अपने जवाब व बहस में उक्त ख. नं. की भूमि जो प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते मे आ रही है, बाबत कोई एतराज नहीं किया है।

अतः माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जांच उपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष यह रहा है कि प्रार्थीगण की रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके पर जो रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, अतिक्रमित रकबे को छोड़कर, रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहे है।

अतः तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 15.3.24 के अनुसार वाके ग्राम डाबरकला के ख. नं. 2738/1 रकबा 0.0220 है0 किस्म गै. मु. रास्ता पर यदि अतिक्रमण है तो उसको नियमानुसार हटवाया जावे व ग्राम मालेड़ा के ख. नं. 354 रकबा 0.03 है0 में से 0.0150 है0 के लिए वर्तमान डीएलसी की दुगनी राशि जमा कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता (सिवायचक) दर्ज करे। राशि अप्रार्थीगण खातेदार को उनके हिस्से अनुसार संदाय करे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.05.2024 में सुनाया गया।

21/5/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली